शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राधान्याधीन/प्राधान्याध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मोटिवेशन होने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक रत्न में गुणात्मक सुधार हुआ है।

ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामाकरण में पृथिवी हुई है।

iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

जैसलमेर जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को समन्वित करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।
## जिला-जैसलमेर
### क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमसूत्र</th>
<th>पंचायत समिति/नगरपालिका</th>
<th>ग्राम पंचायत</th>
<th>राजस्व ग्राम/वार्ड नं.</th>
<th>राउमावि/मावि (एकीकृत)</th>
<th>समन्वित विद्यालय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>सम</td>
<td>रामगढ़</td>
<td>रामगढ़</td>
<td>राउमावि रामगढ़</td>
<td>राउप्रार्थि रामगढ़</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>सम</td>
<td>सोनू</td>
<td>सोनू</td>
<td>राउमावि सोनू</td>
<td>राउप्रार्थि सोनू</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>जैसलमेर</td>
<td>नागना</td>
<td>नागना</td>
<td>रावामावि नागना</td>
<td>रावारावि नागना कौलोरी</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>पौकरण</td>
<td>पाजी का तला</td>
<td>पाजी का तला</td>
<td>राउमावि पाजी का तला</td>
<td>राउप्रार्थि पाजी का तला</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>पधमपुरा</td>
<td>पधमपुरा</td>
<td>राउमावि पधमपुरा</td>
<td>रा शिक्षा कर्मी प्राणि पधमपुरा</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>जमला</td>
<td>जमला</td>
<td>राउमावि जमला</td>
<td>रा शिक्षा कर्मी प्राणि जमला</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>17</td>
<td>रावामावि पौकरण</td>
<td>रावा प्रार्थि छोटा देवी</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>जैसलमेर</td>
<td>जैसलमेर</td>
<td>1</td>
<td>राउमावि जैसलमेर</td>
<td>राउप्रार्थि नं 4 जैसलमेर</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>पौकरण</td>
<td>9</td>
<td>राउमावि पौकरण</td>
<td>राउप्रार्थि वार्ड नं 15</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>जैसलमेर</td>
<td>श्री मोहनगढ़</td>
<td>श्री मोहनगढ़</td>
<td>राउमावि श्री मोहनगढ़</td>
<td>राउप्रार्थि खानपुरा</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>खेलाना</td>
<td>खेलाना</td>
<td>राउमावि खेलाना</td>
<td>रा शिक्षा कर्मी प्राणि खेलाना</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>जैसलमेर</td>
<td>जैसलमेर</td>
<td>11</td>
<td>राउमावि जैसलमेर</td>
<td>राउप्रार्थि नं 2 दुर्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>सांकड़ा</td>
<td>राउमावि मंगलपुरा</td>
<td>राउप्रार्थि मंगलपुरा</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा–

i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों
के शैक्षिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च
प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पत्तियां यथा भूमि, भवन, खेत मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक
उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पत्तियां, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का
हस्तान्तरण समाप्तित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो
जायेगा।

iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षा (कक्षा 1 से 12 अथवा 1
से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता
अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षा एक ही परिसर में संचालित
किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त
कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से
12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में
संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।

v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरांत कक्षा 1 से 12/1
से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए यदि एकीकरण के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित
किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की
व्यवस्था करने हेतु 1 से 12 कक्षाएं संचालित होगी।

vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होगे
विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्षा की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में
माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में
किया जा सकेगा।

vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च
प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी
आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के
नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सूचना एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाज करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सूचना के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक एकीकृत विद्यालय में यथायोग्य कार्य करते रहेंगे एवं उनके बेटन का आहरण पूर्वानुशासन पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।

x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा माध्यमिक/अ/1 सी/21312/वो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर उपरोक्त निर्देशों के समन्वय के आधार पर शासन उप दर्पण/शासन दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आवाज से,

(नाहर सिह) 13.6.2015
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रकिया : जिन्हें सूचना देकर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिष्ठित हैः —
1. सीविड, माननीय मुख्यमंत्री महोदया
2. विशिष्ट सहायक, माननीय पंजी महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर
11. संगठनीय आयुक्त, ..........................................
12. जिला कलकट, ..................................................
13. राजकुमार/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा ग्रु-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक, संभाग ..............................
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली

[Signature]

शासन उप सचिव, प्रथम